

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एक्स-17 पार्ट-2(नाम विलोपन) /2023/92 दिनांक:- 6/3/24

--:आदेश:-

निम्नांकित नर्सिंग कार्मिकों की राज्य सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से नाम विलोपित/पृथक किया जाता है।

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	मृत्यु तिथि
1	श्रीमती ओलिव फिल्ड महिला स्वास्थ्य दर्शिका	खण्ड मु. चिकि. अधि.ओसिया जोधपुर	28.05.1964	21.02.1988	01.12.2023
2	अमरजीत कुमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	बी.सी.एम.ओ. चित्तलवाना सांचौर	14.03.1970	02.03.2009	14.10.2023

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/एक्स-17 पार्ट-2(नाम विलोपन) /2023/92 दिनांक:- 6/3/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/सांचौर को प्रेषित कर लेख है कि आप अपने रिकार्ड में भी जांच करले कि उक्त कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित है अथवा नहीं।
- ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जोधपुर/सांचौर
- संबंधित कार्मिक के आश्रित को द्वारा क्र0सं0 04 के।
- प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक(अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

Signature valid

RajKaj Ref
5904610



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.03.05 19:36:30 IST
Reason: Approved